

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0सं0 :- 2/अ0प्र0-8-01/2021

2128

/पटना, दिनांक :- 23.7.24

श्री अजय कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मसौढ़ी के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-54/2021 दिनांक-17.12.2021 के मामले में संकल्प संख्या-372 दिनांक 21.02.2023 द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालन का आदेश निर्गत किया गया। मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा दिनांक 02.03.2023 को पारित आदेश द्वारा अग्रतर सुनवाई हेतु इस मामले को जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया है।

श्री सिंह के दिनांक 31.03.2024 को सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया जाता है।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(डॉ० फातेह फ़ैयाज)  
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-8-01/2021

2128

/पटना, दिनांक :- 23.7.24

प्रतिलिपि :- मुख्य जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/डा0 एन0 सरवण कुमार, जाँच आयुक्त-सह-सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अजय कुमार सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल मसौढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-फ्लैट सं0-डी0 1, मकान सं0-15, रोड नं0-07, इन्द्रपुरी नियर अटल पथ, डाकघर-केशरी नगर, थाना-पाटलीपुत्रा, जिला-पटना, बिहार-800024, मोबाईल सं0-8809088009 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 2/अ0प्र0-8-01/2021

2128

/पटना, दिनांक :- 23.7.24

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव